न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– नरेश सोनी आर.ए.एस

राजस्व विविध सं. 189/2021

प्रार्थीगण – 1. पन्नाराम, 2. गोमाराम पुत्रान दुर्गाराम जाति जाट निवासी सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण
1. हमीदा बानो पत्नि गुलाम रसुल जाति घोसी मुसलमान बालोतरा
2. सलीम खां वल्द सुआ खां, जाति घोसी मुसलमान बालोतरा
3. केसाराम पुत्र बालकाराम जाति भील निवासी सांभरा
4. मदनलाल पुत्र केसाराम जाति भील निवासी सांभरा
5. वागाराम पुत्र केसाराम जाति भील निवासी सांभरा
6. दलूदेवी पत्नि रतनाराम जाति जाट निवासी सांभरा
7. सदाराम पुत्र गोबरराम जाति भील निवासी कुड़ी
8. गीतादेवी पत्नि सांवलाराम जाति भील नि. भीनमाल जिला जालोर
9. राजूराम पुत्र चीमाराम जाति भील निवासी बालोतरा
10. ग्राम पंचायत सांभरा, जरिये सरपंच ग्राम पचांयत सांभरा
11. राजस्थान राज्य जरीय भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

आदेश

दिनांकः 04.01.2022

उपस्थित :–

श्री अन्नाराम सारण अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

श्री पूनमाराम अधिवक्ता विप्रार्थीगण सं. 03 ता 06, 10 की ओर से

प्रार्थी ने वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, रा.भू.रा. अ. इस आशय का पेश किया कि, राजस्व गांव सांभरा पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में मूल खसरा सं. 129 अवस्थित रहा, तदोपरान्त उक्त खसरा के तरीमीमी खसरा सं. 238/129, 232/129, 237/129, 234/129, 241/129, 235/129, 236/129, 233/129, 242/129, 239/129, 304/129, 245/129 बने, वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत एवं अशुद्ध रूप से मौके पर प्रार्थीगण के कब्जा के विपरीत तरमीम हैं, जो बिना सक्षम प्राधिकारी एंव बिना विधिक प्रक्रिया के प्रभावी पक्षकार प्रार्थीगण खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये नक्शा लट्ठा ट्रेस में की गई हैं, प्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि के रकबे की सार संभाल कर काश्त की जाती रही हैं, प्रार्थीगण द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार हल्का पटवारी से दिनांक 13.08.2020 को नक्शा लट्ठा की नकल ली, तो, प्रार्थीगण को बिना सक्षम प्राधिकारी [illegible] के कब्जे के विपरीत तरमीम के तथ्यों की जानकारी हुई, जिस [illegible] प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण को तहसील कार्यालय चल कर उक्त त्रुटि को सक्षम से दुरुस्त करने का निवेदन किया, विप्रार्थीगण ने रेकर्ड दुरस्त कराने से साफ इन्कार कर दिया, नक्शा में दर्ज की गई, तरमीम प्रार्थीगण के सुस्थापित कब्जे के विपरीत हैं, जिसका कोई युक्तिसंगत आधार भी नहीं हैं, गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण के कब्जे में अनुचित दखल का प्रयास हो रहा हैं, इसलिए एकपक्षीय एंव एकांकी, प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:50:06 IST
Reason: SelfAttested

2......

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (SDO)

की बिना जानकारी के की गई मौके के कब्जे के विपरीत तरमीम को दुरस्त कब्जा काश्त अनुसार किया जावे,

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये, विप्रार्थी सं. 3 ता 6, 10 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, शेष विप्रार्थीगण बाद तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये,

उक्त भूमि की रिपोर्ट हेतु भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा को दिनांक 10.02.2021 को रिपोर्ट चाही, जो भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा से जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./2021/1027/18.06.2021 के प्राप्त हुई, रिपोर्ट के अनुसार मौजा सांभरा के मूल खसरा सं. 129 की भूमि राजकीय थी, जो अलग अलग व्यक्तियों को आवंटित/नियमन हुई, मूल खसरा सं. 129 के 17 खसरान विभक्त हैं, नक्शा ट्रेस में मूल खसरा के नक्शे की तरमीम रिपोर्ट के सलंग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार हैं, मौका की स्थिति रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार हैं, मौका अनुसार प्रार्थीगण का खसरा सं. 237/129 रकबा 30 बीघा का मौके पर कब्जा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार नहीं हैं, इसे परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम किया जाना प्रस्तावित हैं ।

रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं को सुना, पत्रावली एवं प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन, अध्ययन किया ।

रिपोर्ट में भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा, हल्का पटवारी ने यह व्यक्त किया हैं, कि अधिकांश खातेदारान का कब्जा लट्ठा में दर्ज तरमीम अनुसार नहीं हैं, अधिकांश खातेदार परिशिष्ट 'ब' को सही मानते हुए तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत हुए एवं सहमति स्वरूप मौका फर्द व परिशिष्ट 'ब' पर हस्ताक्षर, अंगुष्ठ निशान किये, के कथन अंकित हैं, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अनुसार यदि फिल्ड बूक (लट्ठा ट्रेस) में अशुद्ध प्रविष्टियां हो तो ऐसी अशुद्ध तरमीम की प्रविष्ट को शुद्ध करने का अधिकार क्षेत्र भू–अभिलेख अधिकारी को प्राप्त हैं, वर्तमान प्रकरण में ऐसी प्रविष्टि को दुरस्त करने में किसी पक्षकार विशेष का उज्र पेश नहीं हुआ हैं ।

अतः बाद गौर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माफिक भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओंर से पेश मौका फर्द के परिशिष्ट 'ब' अनुसार मूल खसरा सं. 129 के तमाम तरमीमी खसरान जो वर्तमान जमाबंदी, नक्शा में दर्ज हैं, की तरमीम दुरस्त करने का आदेश देना न्यायोचित होने से भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता हैं, कि मौका फर्द रिपोर्ट क्रमांक भू.अ. /2021/1027 दिनांक 18.06.2021 के संलग्न मौका अनुसार प्रस्तावित शुद्ध तरमीम परिशिष्ट 'ब' अनुसार लट्ठा में तरमीम दुरस्त करें, रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा, पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:50:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.),
बालोतरा

आदेश आज खुले न्यायालय में तारीख 04.01.2022 को सुनाया गया ।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.),
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा